


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

समयसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा- प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए
पीठासीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

गु0नं0- 78 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2024	<p>प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0आर0एक्ट प्रार्थी अधिवक्ता श्री लाखन सिंह गुर्जर द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा 141 रकबा 3.6800 है0 वाके ग्राम गूजर सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है, प्रार्थीगण की उक्त भूमि का तहसीलदार सिकराय के आदेश द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2024 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढी बाबत आवेदन किया गया है। पत्रावली में विचाराधीन भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम गूजर सीमला तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 3.6800 है0 पर पत्थरगढी प्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो की जावे साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।</p> <p>तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)</p>	